प्रेस नोट थाना बण्डा
जनपद शाहजहाँपुर

दिनांक 05.11.2026

थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, जनपद शाहजहाँपुर के निर्देशानुसार जनपद में अपराध की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान अपर अधीक्षक ग्रामीण महोदया के निर्देशन में, श्रीमान क्षेत्राधिकारी पुवायां महोदय के पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक थाना बण्डा के नेतृत्व में थाना बण्डा पुलिस टीम को मिली बडी कामयाबी।

संक्षिप्त विवरण

दिनांक 04.10.26 को वादिनी द्वारा थाना बण्डा पर दी गई तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 459/2026 धारा 115(2)/352/351(3) बीएनएस बाबत अभियुक्तगण द्वारा वादिनी के पिता के साथ गाली-गलौज, मारपीट करना व जान से मारने की धमकी देने जिससे क्षुब्त होकर वादिनी के पिता द्वारा जहर खा लेना के सम्बन्ध में पंजीकृत किया गया था। दौराने उपचार वादिनी के पिता की मृत्यु हो जाने पर वा मुकदमा उपरोक्त में धारा 108 BNS की वृद्धि की गयी।

आज दिनांक 05.11.26 को थाना बण्डा पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त मंगूलाल उर्फ भाईलाल पुत्र मैकूलाल, नि0 ग्राम बैबहा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर को मुखबिर की सूचना पर ग्राम वैवहा मोड से ग्राम वैवहा की तरफ जाने वाले रास्ते से समय 12.30 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण

मंगूलाल उर्फ भाईलाल पुत्र मैकूलाल, नि0 ग्राम बैबहा, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर ।

पंजीकृत अभियोग का विवरण

मु0अ0सं0 459/2026 धारा 115(2)/352/351(3)108, थाना बण्डा, जनपद शाहजहाँपुर ।

गिरफ्तार का दिनांक, समय व स्थान

दिनांक 05.11.2026 को समय 12.30 बजे ग्राम वैवहा मोड से ग्राम वैवहा की तरफ जाने वाले रास्ते से।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण

उ0नि0 रणजीत बहादुर सिंह
हे0का0 रामसंजीवन
का0 बसन्त चौहान